10/3/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। 345 एफ अप. प्रापक प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल-मिसल गया जैसा दे रहा है।
	निर्णय सुनाया गया
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS 2024/6

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 9/2024

GCMS NO.- 2024/6

दायरा दिनाकः– 03.01.2024

अनिल कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति जाट साकिन ढ़ाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र श्री फरसाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदास सिह
3. राजवीर सिह
   } पुत्रगण जसवन्त सिह अकवाम जटसिख साकिनान ढ़ाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. आई सी आई सी आई बैक शाखा सूरतगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी
2. श्री रामप्रताप तिवाड़ी अधिवक्ता – अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.03.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसके नाम से चक 20 एलजीडब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के पत्थर नं. 28/300 के किला नं. 17/2, 18, 22/2, 23, 24 में 1.054 हैक. नहरी व पत्थर नं. 28/301 में 0.717 हैक. व पत्थर नं. 29/301 में 0.759 हैक. नहरी रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस रकबा को काश्त करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम से इसी चक के पत्थर नं. 28/300 के किला नं. 4/1 ता 7 व किला नं. 14 ता 16, 17/1, 25 में 2.108 हैक. नहरी मयखाला व पत्थर नं. 28/299 के किला नं. 4/1 से 7 व 14 ता 18 व किला नं. 23/1 सहित इस पत्थर नं. में 2.403 हैक. रकबा इस प्रकार कुल 4.511 हैक रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्थर नं. 28/299 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में मंजुर शुदा सरकारी रास्ता है जो पत्थर नं. 28/300 के किला नं. 5 तक आता है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 व 3 के रकबा को काश्त करने के लिए कोई मंजुर शुदा रास्ता नहीं है। इसलिए अप्रार्थी न. 1 के नाम के चक 20 एल जी डब्ल्यू के पत्थर नं. 28/300 के किला नं. 5/1 के उतरी पासा में व किला नं. 4/1 के उतरी पासा से व पश्चिमी पासा में से व किला नं. 7 व 14 के पश्चिमी पासा में से एक – एक बिस्वा रकबा रास्ता के रूप में उपयोग में लेकर प्रार्थी अपने रकबा की काश्त करता है तथा अपनी फसल उपज को व पशुओं के चारा को घर लेकर जाता है व कृषि उपज को मंण्डी लेकर जाता है। अप्रार्थी नं. 2 व 3 भी किला नं. 4/1 व 5/1 के उतरी पासा के एक बिस्वा चौड़ा इस रास्ता को उपयोग में लेते है। प्रार्थी को कोई अन्य मंजुर शुदा रास्ता अपने खातेदारी रकबा को नहीं लगता है। इसलिये प्रार्थी को इस रास्ता की आत्यधिक आवश्यकता है व प्रार्थी इस रकबा के बदले डीएलसी रेट से दुगुनी राशि देने को तैयार है चुंकि अप्राथी नं. 1 प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 व 3 को रास्ता बेरोक टोक दे रखा था परन्तु अब अप्रार्थी न. 1 प्रार्थी से वोटो की रंजिश रखने लग गया है इसलिये वो अप्रार्थी न. 2 व 3 को तो रास्ता में बिना रोक टोक आने देता है। केवल प्रार्थी को 4/1 व 7 – 14 के पश्चिमी पासा में रास्ता बन्द करने की

——लगातार पेज 2... पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हर रोज धमकी देता है प्रार्थी इस रास्ता के बदले डी एल सी रैट से दुगनी देने के लिए तैयार है। अप्रार्थी ने अब मौका पर पत्थर नं. 28/300 के किला 5 पर लोहे की तारों से तारबंदी कर दी है व लोहे का गेट लगा दिया है, उसने अप्रार्थी नं. 2, 3 को तो बिना रोक टोक आने जाने देता है परन्तु प्रार्थी के लिए उसने इस रास्ता के किला नं. 5 पर लगे लोहे के गेट को बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थी का उसके रकबा से फसल बिजांत करना व बिजी हुई फसल का निकालना मुश्किल हो गया है इसलिये जैरप्रकरण रास्ता मन्जूर करने का प्रार्थी ने निवेदन किया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 68 ता 71 की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ को मूल ही प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रिपॉर्ट मय टिप्पणी भेजने का आदेश दिया तथा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता की रिपोर्ट भी मॉगी गई जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ व भू. अभिलेख निरीक्षक (आईएलआर) के साथ पटवारी हल्का ने मौका पर जाकर सम्बधित काश्तकारान को सुचित कर रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित कि तत्पश्चात् प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया।

अप्रार्थी न. 1 की और से श्रीरामप्रताप तिवाड़ी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को पत्थर न. 28/300 में रास्ता की आवश्यकता नही है। प्रार्थी पत्थर न. 28/300 के किला न. 21 व 22 में से रास्ता मन्जूर करवाकर पत्थर न. 29/301 के रास्ता जो पश्चिम की तरफ से आता है, से जुड़ सकता है पत्थर न. 28/300 के किला न. 21 व 22 का रकबा उसके चाचा का खातेदारी है वहा से रास्ता लेकर अपने खातेदारी रकबा में प्रवेश कर सकता है तथा आज भी यही रास्ता उपयोग में ले रहा है अप्रार्थी लघु काश्तकार है महज परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे। अप्रार्थी न. 2 ता 4 जानबुझकर हाजिर नही आये इसलिये उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी गॉव ढ़ाबा झालार का निवासी है तथा प्रार्थी गॉव ढ़ाबा से चक 20 एल जी डब्ल्यू के पत्थर न. 28/299, 27/299 की पत्थर लाईन के किला न. 5–6–15–16–25 में से स्वीकृत शुदा रास्ता से अप्रार्थी न. 1 के नाम के इस चक 20 एल जी डब्ल्यू के पत्थर न. 28/300 के किला न. 5/1 के रकबा तक सरकारी मार्ग से आता है तथा तत्पश्चात् अप्रार्थी न. 1 के किला न. 5/1 व 4/1 के उत्तरी पासा से व फिर 4/1 व 7–14 के पश्चिमी पासा के 1–1 बिस्वा रकबा में से होकर अपने खातेदारी रकबा की काश्त करता है तथा इसी किला न. 4/1 व 5/1 से अप्रार्थी न. 2 व 3 भी अपना रकबा काश्त करते है किन्तु अप्रार्थी नं. 1 उन्हे तो रोकता नही केवल प्रार्थी के लिए रास्ता लोहे का गैट लगाकर बंद कर दिया हैं, प्रार्थी को कोई भी स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थी ने जो एक अन्य वैकल्पिक रास्ता जो पत्थर न. 29/301 का रास्ता जो गॉव 15 एसजीआर की तरफ से आना दर्शाया है वो प्रार्थी की पहुच मार्ग नही हो सकता क्योकि प्रार्थी गॉव ढ़ाबा झालार का रहने वाला है तथा पत्थर न. 28/300 के रकबा के लिये ढ़ाबा झालार से पत्थर न. 27/299 व 28/299 के किला न. 5–6–15–16–25 का सार्वजनिक रास्ता ही एक मात्र गॉव ढ़ाबा झालार आबादी को जोड़ने वाला मार्ग है। यही एक मात्र रास्ता है। यह अत्यंन्त आवश्यक मार्ग है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा जा रहा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में यह रकबा गै. मु. रास्ता दर्ज कर रास्ता खुलवाया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कानूनी नजीर RRT 2022 (2) पेज 996 व RLW 2003 (1) पेज 577 व RRT 201[illegible] [illegible]098 पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी न. 1 [illegible] दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी लघु एवं सीमान्त काश्तकार है। प्रार्थी [illegible] रास्ता की बजाय पत्थर न. 29/301 के किला न. 5 के रास्ता से जुड़कर अपना रकबा काश्त कर सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। कानूनी नजीर DNJ 2003 (1) पेज 340 पेश की।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिये कोई भी

——लगातार पेज 3... पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

स्वीकृत शुदा रास्ता नही हैं तथा पत्थर न. 28/300 के रकबा तक के लिये गॉव ढ़ाबा से पत्थर न. 28/299 के किला न. 5–6–15–16–25 में से मन्जूर शुदा रास्ता है जो अप्रार्थी नं. 1 के इस चक 20 एल जी डब्ल्यू के पत्थर नं. 28/300 के किला नं. 5 तक आता है तथा अप्रार्थी न. 1 के इस पत्थर नं. 28/300 के किला न. 5/1, 4/1 के उतरी पासा से व 4/1 व 7, 14 के पश्चिमी पासा से एक एक बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी का रकबा रास्ता से जुड़ जायेगा, चूकिः अप्रार्थी न. 2 व 3 का रकबा भी रास्ता से जुड़ जावेगा तथा प्रार्थी जो कि गॉव ढ़ाबा का रहने वाला है वो अपने रकबा को उचित रास्ता से जुड़कर अपना रकबा काश्त कर सकेगा, जहा तक अप्रार्थी द्वारा अन्यत्र वैकल्पिक रास्ता जो पत्थर न. 29/301 के किला न. 5 से रास्ता जोड़ने का प्रस्ताव है वो कतई मानने योग्य नही है क्योकि वो प्रार्थी के निवास गॉव ढाबा से जुड़ा हुआ नही है तथा पत्थर न. 28/299 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 का मार्ग ही गॉव ढ़ाबा झालार से जुड़ता है इसलिये हम प्रार्थी के रकबा के लिये अप्रार्थी न. 1 के पत्थर न. 28/300 के किला न. 5/1, 4/1 व 7 – 14 के रकबा में से रास्ता स्वीकृत करना उचित समझते है तथा अप्रार्थी के रकबा के टुकड़े भी नही होगे तथा इस रास्ता के रकबा के बदले अप्रार्थी को रकबा के बदले प्रार्थी के इसी रकबा के बदले रकबा देने से अप्रार्थी को किसी तरह का कोई नुकसान भी नही होगा व अप्रार्थी को सबसे अच्छा प्रतिकर भी मिलेगा । चुकिः अप्रार्थी न 2 व 3 इस प्रकरण में जानबुझकर हाजिर नही हो रहा है। जैर प्रकरण रकबा प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा के बदले प्राप्त कर रहा है इसलिये भविष्य मे अगर अप्रार्थी न 2 व 3 भी इस रास्ता का जितन रकबा उपयोग करते है तो प्रार्थी अप्रार्थी न 2 व 3 से उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले रास्ता मे आने वाले रकबा से आधा रकबा प्राप्त कर सकेगा। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर इस प्रकरण में चस्पा नही हो रही है तथा प्रार्थी को इस रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी न. 1 के नाम के खातेदारी रकबा वाके चक 20 एल.जी.डब्लयू के पत्थर न. 28/300 के किला न. 5/1 के उतरी पासा में से 0.013 हैक. व 4/1 के उतरी पासा में से 0.013 हैक. व इसी किला न 4/1 के पश्चिमी पासा में से 0.013 हैक. (इस किला में से कुल 0.026 हैक.) व किला न. 7 के पश्चिमी पासा मे से 0.013 हैक व किला न 14 के पश्चिमी पासा मे से 0.013 हैक. नहरी रकबा मे से इस प्रकार उक्त चारो किलो में कुल 0.065 हैक. रकबा रास्ता स्वीकृत किया जाता है यानी प्रार्थी के इस पत्थर न. 28/300 के किला न. 17/2 के रकबा तक एक–एक बिस्वा चौड़ाई मे पहुच मार्ग स्वीकृत किया जाकर यह रकबा गैरमुमकिन रास्ता के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस रास्ता में आने वाले 0.065 हैक. नहरी रकबा के बदले प्रार्थी के नाम की इसी चक के इसी पत्थर नम्बर 28/300 के किला न 17/2 के पूर्वी पासा से 0.065 हैक नहरी खातेदारी रकबा प्रतिकर के रूप मे अप्रार्थी न 1 को प्राप्त होगा । तहसीलदार सूरतगढ रास्ता की भूमि पर से व अप्रार्थी न 1 को रास्ता के बदले प्राप्त होने वाले रकबा पर से बैंक रहन हटाकर रास्ता के नाम व रास्ता के बदले अप्रार्थी न 1 को प्रार्थी के नाम का 0.065 हैक प्राप्त होने वाले रकबा का इन्तकाल करने का आदेश दिया जाता है व शेष भुमि पर बैक रहन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ता का अमलदरामद किया जाकर मौका पर रास्ता खुलवाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है । तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राजस्थान – सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमाक/राजस्व/रास्ता/ 1632 दिनाक 12/3/2025

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़।

विषय :– प्रकरण सख्या 09/2024 बअनवान अनिल कुमार बनाम गोपीराम अन्य में पारित निर्णय दिनाक 10/03/2025 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण सख्या 09/2024 बअनवान अनिल कुमार बनाम गोपीराम अन्य में प्रार्थी अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनाक 03.01.2024 को स्वीकार कर अप्रार्थी न. 1 गोपीराम पुत्र श्री फरसाराम जाति जाट साकिन ढाबा झालार के नाम के खातेदारी रकबा वाके चक 20 एल.जी.डब्लयू के पत्थर न. 28/300 के किला न. 5/1 के उतरी पासा में से 0.013 हैक. व 4/1 के उतरी पासा में से 0.013 हैक. व इसी किला न 4/1 के पश्चिमी पासा में से 0.013 हैक. (इस किला में से कुल 0.026 हैक.) व किला न. 7 के पश्चिमी पासा मे से 0.013 हैक व किला न 14 के पश्चिमी पासा में से 0.013 हैक. नहरी रकबा मे से इस प्रकार उक्त चारो किलो में कुल 0.065 हैक. रकबा रास्ता स्वीकृत किया जाता है यानी प्रार्थी के इस पत्थर न. 28/300 के किला न. 17/2 के रकबा तक एक–एक बिस्बा चौड़ाई मे पहुच मार्ग स्वीकृत किया जाकर यह रकबा नहरी से गैरमुमकिन रास्ता के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस रास्ता के बदले प्रार्थी के नाम के इसी चक के इसी पत्थर न 28/300 के किला न 17/2 मे से 0.065 हैक. नहरी रकबा अप्रार्थी न 1 को दिया जाता है । तहसीलदार सूरतगढ को आदेश दिये जाते है तथा रास्ता की भूमि पर से रहन हटाकर यह रकबा रास्ता के नाम दर्ज करने व रास्ता के बदले दिया जा रहे रकबा से प्रार्थी के रकबा से बैक रहन हटाकर इन्तकाल करके शेष भुमि पर रहन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ रास्ता को अमलदरामद किया जाकर मौका पर रास्ता खुलवाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।